

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या-786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चक्रता के विकासखण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार (समरजेंस रोड) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कि०मी० 1 से 4७९०० कि०मी० तक।

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :-
- i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र
 - ii) जिला
 - iii) जिला वन प्रभाग
 - iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
- ग्राम लखस्यार (समरजेंस रोड) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग
- उत्तराखण्ड
- देहरादून
- चक्रता वन प्रभाग
- चक्रता
- 2.240 है
8. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः :-
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:-
- i) वन का प्रकार
 - ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व
 - iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना
 - iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
10. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी :-
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :-
12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :-
- i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :
 - ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याधि रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)
 - iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)
- नथे

- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वोक्त के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका—टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके बौरे

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका बौरा दें)

14. पूर्वोक्त के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

 - (i) क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए
 - (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि

15. किए गए अतिक्रमण के बौरे :

 - (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/ नहीं)
 - (ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए
 - (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/ नहीं)
 - (iv) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/ नहीं)
 - (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : मात्र ४,
 - (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)।

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/ नहीं)।

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों आमीलों को प्राप्तान्त वर्षेवार इन्द्र उत्तरी कावे उत्तराम्बुद्ध देव उत्तर मार्ग निर्माण विभागीय भूमि दिनांक २३-२०१५ दिव्य घड़ क्षेत्र में क्षतिश्छल वृक्षारोपण उत्तर गढ़ हरताक्षर द्वारा दिया गया है।

स्थान वाराणसी

नाम मोहर
सरकारी मोहर

उप-प्रशासनिक अधिकारी
कर्तव्यालय प्रभाव
मालसी